112

AVVNL-Rule-459

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

HATHI BHATA, CITY POWER HOUSE, AJMER-305001

No. AVVNL/CAO(Rev. /Cont.)/Sr. AO (Rule)/F.25 /OO/D5114 Dated 6.1.2011

ORDER

Sub:- Prescription of Selection Grade to State Government Employees.

In exercise of the powers conferred vide order No. AVVNL/CAO/ Rules/ F./(13)/D-505 dated 03.11.2001 (Order-11), the Managing Director, AVVNL, is pleased to adopt the GoR clarification No. F.16 (2)/F-D (Rules)/98 dated 18.11.2010 (Copy enclosed), on the subject matter.

It is, therefore, enjoined upon all concerned to take action accordingly. This is in continuation to this office order No. AVVNL/CAO(R&C)/Sr. AO(Rules)/F. 25/ D-3074 dated 13.09.2010 (AVVNL-Rule-438).

By Order,

(M. K. Jain)
Chief Accounts Officer (R&C)
AVVNL, Ajmer

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Director (Technical), AVVNL, Ajmer.
2. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer ( ), AVVNL, __ __.
3. The Chief Accounts Officer (ATB / IA & W&M), AVVNL, Ajmer.
4. The Secretary (Admn.), AVVNL, Ajmer.
5. The Zonal Sr. Accounts Officer ( ), AVVNL, Ajmer/Udaipur/ Jhunjhunu.
6. The Sr. Accounts Officer ( ), AVVNL, ________
7. The Superintending Engineer (RPPC), AVVNL, Jaipur.
8. The Superintending Engineer (Civil/Plan/MM/O&M/M&P/TW), AVVNL Ajmer / Bhilwara/ Nagaur/Udaipur/ Chittorgarh/ Banswara/Rajsamand/ Jhunjhunu/Sikar with the request to circulate this order among division/Sub division under his control.
9. The Company Secretary, AVVNL, Ajmer.
10. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), AVVNL, Ajmer.
11. The TA to Managing Director, AVVNL, Ajmer.
12. Dy. Director of Personnel (AZ / UZ / JJZ) , AVVNL Ajmer/Udaipur/ Jhunjhunu
13. The Accounts Officer (O&M/IA/EA/Budget/W&M), AVVNL, Ajmer/ Bhilwara/Nagaur/Udaipur/Chittorgarh/Banswara/Rajsamand/Sikar/ Jhunjhunu.
14. The Personnel Officer (Corporate Off./O&M), AVVNL, ________.
15. The Public Relation Officer, AVVNL, Ajmer.
16. The P.A. To Managing Director, AVVNL, Ajmer/Jaipur.

Sr. Accounts Officer (Rule)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक संख्या प.16(2)वित्त/नियम/98 जयपुर, दिनांक: 8 NOV 2010

स्पष्टीकरण

विषयः– राज्य कर्मचारियों को चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.05.2009 की पालना में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.06.2009 से चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन राज्य कर्मचारियों को तदर्थ सेवा/कार्यप्रभारी सेवा/दैनिक वेतन इत्यादि के आधार पर की गई सेवा को सम्मिलित कर चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये है, ऐसे समस्त प्रकरणों का पुनरावलोकन किया जाये तथा ऐसे कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर संशोधित चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जायें।

उपरोक्त आदेश दिनांक 29.06.2009 जिसे इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.08.2010 से आंशिक संशोधित किया गया है, के क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न विभागाध्यक्षों/प्रशासनिक विभागों द्वारा कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा गया है।

वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.06.2009 एवं 20.08.2010 के संबंध में वांछित बिन्दुवार स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	जिन कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति तदर्थ आधार पर हुई तथा जिन्हें पश्चात्‌वर्ती तिथि से उस पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया एवं जिन्हें नियमित रूप से नियुक्त होने की तिथि से (तदर्थ आधार पर की गई सेवा को छोडकर) सेवा की गणना कर दिनांक 29.06.2009 से पूर्व चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये क्या उन्हें आदेश दिनांक 20.08.2010के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर की गई सेवा को जोडकर चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने है ?	जी नहीं। ऐसे कर्मचारियों को जिनको दिनांक 29.06.2009 के पूर्व नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये, उन्हें आदेश दिनांक 29.06.2009 एवं 20.08.2010 के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर की गई सेवा को जोडकर संशोधित चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किये जाने है।

Rules\6th CPC\Abhas Lalji\... doc

2.	जिन कर्मचारियों को प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 29.06.2009 के पूर्व तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना कर स्वीकृत किया गया तथा जिन्होंने तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित दिनांक 29.06.2009 से पूर्व 18 वर्ष की सेवापूर्ण कर ली है, परन्तु उन्हें द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 29.06.2009 के पूर्व स्वीकृत नहीं किया गया क्या ऐसे कर्मचारियों को आदेश दिनांक 20.08.2010 के अन्तर्गत द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं ?	ऐसे कर्मचारियों को आदेश दिनांक 20.08.2010 के अन्तर्गत केवल नियमित नियुक्ति तिथि से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही द्वितीय चयनित वेतनमान देय होगा।
3.	जिन कर्मचारियों को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 29.06.2009 के पूर्व तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना कर स्वीकृत किया गया तथा जिन्होंने तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित दिनांक 29.06.2009 से पूर्व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, परन्तु उन्हें तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 29.06.2009 से पूर्व स्वीकृत नहीं किया गया है, क्या ऐसे कर्मचारियों को आदेश दिनांक 20.08.2010 के अन्तर्गत तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं ?	ऐसे कर्मचारियों को आदेश दिनांक 20.08.2010 के अन्तर्गत केवल नियमित नियुक्ति तिथि से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही तृतीय चयनित वेतनमान देय होगा।
4.	जिन कर्मचारियों को दिनांक 29.06.2009 के पूर्व चयनित वेतनमान, तदर्थ सेवा अवधि की गणना कर स्वीकृत किये गये तथा आदेश दिनांक 29.06.2009 के अन्तर्गत उनकी समीक्षा कर उन्हें नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर संशोधित चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये, क्या ऐसे कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर की गई सेवा को जोड़कर पुनः चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने है अथवा नहीं ?	जिन कर्मचारियों को दिनांक 29.06.2009 के पूर्व चयनित वेतनमान तदर्थ सेवा अवधि की गणना कर स्वीकृत किये गये तथा ऐसे प्रकरणों को आदेश दिनांक 29.06.2009 के अन्तर्गत समीक्षा कर पूर्व आदेशों के अतिक्रमण में नियमित सेवा के आधार पर संशोधित चयनित वेतनमान स्वीकृत कर दिये गये, ऐसे प्रकरणों में आदेश दिनांक 29.06.2009 के अन्तर्गत स्वीकृत चयनित वेतनमान के आदेश निरस्त किये जायें तथा दिनांक 29.06.2009 से पूर्व स्वीकृत चयनित वेतनमान का आदेश प्रभावी किया जाना है।

-4/

5.	ऐसे कर्मचारी जिन्हें तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना कर चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये एवं तत्पश्चात उन्हें नियमित नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना कर दिनांक 29.06.2009 के आदेश जारी होने के पूर्व संशोधित चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये तथा अधिक भुगतान की राशि वसूल कर ली गई, क्या ऐसे मामलों में आदेश दिनांक 20.08.2010 के अन्तर्गत उन्हें पुनः तदर्थ आधार पर की गई सेवा को जोडकर चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाते है अथवा नहीं ?	ऐसे प्रकरणों में आदेश दिनांक 29.06.2009 एवं 20.08.2010 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(युदवेन्द्र माथुर)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री / उपमंत्री।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) आई.सी.–।।। अनुभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (250 प्रतियाँ)।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर (100 प्रतियाँ उप कोषाधिकारियों के लिए)।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, पैंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) (कोडिफिकेशन)।
15. विधि रचना संगठन अंग्रेजी अनुवाद के लिये।
16. एनेलिस्ट–कम–प्रोग्रामर, वित्त विभाग।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर (25 अतिरिक्त प्रतियों सहित) अधीनस्थ विधान समिति के लिये।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(आदित्य पारीक)
उप शासन सचिव

(आरपीएस, 98–07/2010)

Rules/6th CPC/Mohan Lalji/A-4 size.doc